न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 27/2020(2020/00317)

अनवान : —

दीपचन्द पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।

प्राथी।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :— श्री लीलाधर अग्रवाल **प्रार्थी**
राज पैरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांक : 02/03/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा हुणतपुरा के वर्तमान खाता सं 90/91 सम्वत 2072–75 के कुल खसरा 6 की कुल 16.403 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता एवं रोही मौजा रासलान के वर्तमान खाता संख्या 354/354 सम्वत 2075–75 के कुल खसरा 1 की कुल 9.181 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थी के नाम संयुक्त खाते की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम दीपचन्द की बजाऐ दलीपसिंह दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र व वोटर लिस्ट इत्यादि में प्रार्थी का नाम दीपचन्द दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत जाटान के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में दीपचन्द की बजाऐ दलीपसिंह दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम दलीपसिंह के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम दीपचन्द दर्ज करा[illegible] मनिजा कानूनी है।

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से सम्बंधित राजस्व रिकार्ड [illegible] नाम दीपचन्द के स्थान पर दलीपसिंह दर्ज होने से प्रार्थी [illegible] केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की [illegible]कारी योजनाओं को ऑन[illegible] लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम दलीपसिंह दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थी के रोही मौजा ग्राम हुनतपुरा के वर्तमान खाता सं 90/91

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
(जिला-हनुमानगढ़)

व रौही मौजा रासलाना के खाता संख्या 354/354 में प्रार्थी का नाम दीपचन्द दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा ग्राम हुनतपुरा के वर्तमान खाता सं 90/91 व रौही मौजा रासलाना के खाता संख्या 354/354 में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ''**प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दीपचन्द के स्थान पर दलीपसिंह दर्ज हो गया।**'' जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपनी चित्रप्रति आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र व अन्य दस्तावेज पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम दीपचन्द अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है। वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली में जमाबन्दी मुन्सरी बारानी के खाता संख्या 84/84 की जमाबन्दी पेश की जिसमें प्रार्थी का सही नाम दीपचन्द है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा ग्राम हुनतपुरा के वर्तमान खाता सं 90/91 व रौही मौजा रासलाना के खाता संख्या 354/354 में प्रार्थी का नाम '' **दलीपसिंह के स्थान पर दीपचन्द''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए दलीपसिंह ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा के नाम आदेश जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:40 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 02/03/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(जयसिंह) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़